निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 95/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

महेश पुत्र बंशीधर जाति अहीर निवासी ग्राम जयपुरियों का बास, हाथोज, सिरसी लिक रोड, पटवार हल्का सिरसी, तहसील व जिला जयपुर ।

प्रार्थी

बनाम

1 श्री राजेश जाखड आर.ए.एस. पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम।

2 जगदीश पुत्र नानूराम

3 लालचन्द पुत्र नानूराम

4 सूरजमल पुत्र घीस्या

5 हनुमान पुत्र घीस्या

समस्त जाति अहीर, निवासी ग्राम जयपुरियों का बास, पटवार हल्का सिरसी, तहसील व जिला जयपुर।

6 कैलाश पुत्र भूरामल जाति अहीर निवासी ग्राम विजयपुरा, नानोसर तहसील व जिला जयपुर ।

7 गीता देवी अग्रवाल पत्नी मुरारीलाल अग्रवाल जाति महाजन निवासी प्लाट नम्बर 131, गली नम्बर 5, बरकत नगर, टौक फाटक, जयपुर ।

8 कालू पुत्र बंशीधर जाति अहीर ग्राम जयपुरियों का बास, हाथोज, सिरसी लिक रोड, पटवार हल्का सिरसी, तहसील व जिला जयपुर।

9 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जयपुर, जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 183/2023 ब उनवानी कालूराम बनाम जगदीश व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने बाबत ।

उपस्थितः–

1. श्री दिनेश यादव अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री अमित त्रिवेदी अधिवक्ता 2 लगायत 7 की ओर से ।
3. श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 05 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 20.08.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 183/2023 ब उनवानी कालूराम बनाम जगदीश व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय प्राप्त होने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 4 व अप्रार्थी संख्या 6 व 7 की ओर से श्री अमित त्रिवेदी अधिवक्ता एवं अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से श्री सीताराम कुमावत अधिवक्ता ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रकरण में दिनांक 05.07.2024 की तारीख पेशी में नियत थी जिसमें प्रार्थी की ओर से आपत्ति कुर्रेजात प्रस्तुत की गई जिसके पश्चात अप्रार्थीगण जो कि भू माफिया लोग व लालची लोग है प्रार्थी की कब्जे काश्त व अधिकार की भूमि को नाजायज रूप से हड़प करने व प्रार्थी के हकों से वंचित करने के प्रयास में लगे हुए है तथा प्रार्थी से नाजायज लाभ उठाना चाहते है तथा मोटी कमाई करना चाहते है, जिसमें काफी भू माफिया लोग व दलाल आदि लगे हुए है जो ऐनकेन प्रकारेण उक्त भूमि को खुर्दबुर्द करना चाहते है तथा प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त की भूमि से बेदखल करना चाहते है। अप्रार्थीगण द्वारा दिनांक 14.07.2024 को स्पष्ट रूप से प्रार्थी/वादी को यह धमकी दी कि तेरी ओकात क्या है तु कुछ नहीं कर सकता है। हम उक्त सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करके तुम्हारे विधिक अधिकारों से तुमको वंचित करके ही रहेंगे तथा तुमको पूर्ण रूप से बर्बाद करके रहेंगे। हमारे साथ बडे बडे भू माफिया लोग है जो अप्रार्थी नम्बर 01 के परिचित है तथा इनके ही समाज के लोग जिन्होंने मुझे पूर्ण आश्वासन दे दिया है तथा मै उनके मार्फत उपखण्ड अधिकारी से मिल भी आये है तथा उन्होंने तुम्हारे खिलाफ फैसल कर देने का हमे पुर्ण आश्वासन भी दे दिया है जिस कारण प्रार्थी आशंकित है कि प्रार्थी को अप्रार्थी नम्बर 1 से न्याय नहीं मिल सकता है। इसलिए प्रकरण अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किया जाना प्रार्थनीय है। पीठासीन अधिकारी श्री राजेश जाखड़ के अबअ तक इस पत्रावली में अप्रार्थीगण के पक्ष में किये गये निर्णयों से एवं पत्रावली में जिस प्रकार से कार्यवाही की जा रही है उससे यह स्पष्ट है कि ऐनकेन प्रकारेण अप्रार्थीगण के पक्ष में फैसला करने पर तुले हुऐ है जिनसे प्रार्थी को कतई न्याय की उम्मीद नहीं है। अतः उक्त प्रकरण को किसी भी अन्य सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरण किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 02 लगायत 07 के अधिवक्ता ने प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन करते हुये दलील पेश की कि प्रार्थी जानबूझ कर प्रकरण के निस्तारण मे विलम्ब करना चाहता है। अधीनस्थ न्यायालय में भी लम्बी तारीखें लेने का प्रयास करता है और मिथ्या कथनों के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमावें।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम ने अपनी टिप्पणी में प्रार्थी द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने अपने कथनों के समर्थन में किसी प्रकार का दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है जो सही नहीं है। न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नहीं है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम से प्राप्त टिप्पणी का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है

जिला कलक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति हस्ब कायदा उपखण्ड अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 20.08.2024 को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर